**प्रेस नोट                    पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद                    दिनांक 27.02.2025**

## थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल बरामद ।

दिनांक 26.02.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात अभि0 द्वारा वादी की मोटर साईकिल स्प्लेण्डर रजि न0 DL5SCB5426 को चोरी कर ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 27.02.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान वाहन चोर 02 अभियुक्तगण 1.वितुल उर्फ अतुल पुत्र स्व0 बाबूराम निवासी डी 59 डी ब्लाक सोसाइटी धर्मकांटा के पास, लालबाग थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष । 2.आशीष पुत्र राधेश्याम निवासी गली नं0 7 सबोली गड्डा थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष को चौकी क्षेत्र लालबाग से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाईकिल बरामद हुई । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-317(2)/ 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गई । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह मोटरसाइकिल हम दोनों ने मिलकर दिनांक 24.02.2025 को इन्द्रापुरी से चोरी की थी, आज हम इसे बेचने के लिये ले जा रहे थे कि आपने पकड लिया ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–**

1. वितुल उर्फ अतुल पुत्र स्व0 बाबूराम निवासी डी 59 डी ब्लाक सोसाइटी धर्मकांटा के पास, लालबाग थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष ।
2. आशीष पुत्र राधेश्याम निवासी गली नं0 7 सबोली गड्डा थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष ।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में चोरी व बरामदगी का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

**बरामदगी का विवरण-**

चोरी की 01 मोटरसाईकिल बरामद ।

**गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –**

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

## थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 25.02.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभि0 आकाश व उसके दो अज्ञात साथियों द्वारा वादी के ऊपर तमंचे से फायर करना जिससे वादी के सीने में लग जाना और गंभीर रूप से घायल हो जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा-109 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 27.02.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आकाश सिंह पुत्र शैलेन्द्र सिंह निवासी नहर रोड काली मन्दिर के पास संगम विहार थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद उम्र 24 वर्ष को चौकी क्षेत्र संगम विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं और मेरे दो अन्य साथियों द्वारा जनता में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की थी परन्तु गोली वादी के सीने में लग गई और हम तीनों वहां से भाग गये थे।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–**

आकाश सिंह पुत्र शैलेन्द्र सिंह निवासी नहर रोड काली मन्दिर के पास संगम विहार थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद उम्र 24 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –**

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

## थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.02.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभि0 द्वारा वादिया को घुमाने के बहाने देवा गेस्ट हाउस में ले जाकर कोल्ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला देना उसके बाद अभि0 द्वारा वादिया के साथ गलत काम करना तथा वादिया की वीडियो बना लेना व उस वीडियो को वायरल कर देना तथा दोबारा सम्बन्ध बनाने के लिए दबाब बनाना। जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा-123/64/351(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभि0 सुहैल उर्फ गुल्लू पुत्र जहूरहसन निवासी लक्ष्मी गार्डन इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद उम्र 19 वर्ष को चौकी क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरणः-**

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि वादिया को मै पहले से जानता था उसके साथ मेरी देस्ती थी मै उसे घुमाने के बहाने ले गया था और कोल्ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर मैंने उसके साथ गलत काम किया था और वीडियो भी बना ली थी वह मुझसे दोबारा सम्बन्ध बनाने के लिए मना कर रही थी इसलिए मैने उसे पहली वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पताः-**

सुहैल उर्फ गुल्लू पुत्र जहूरहसन निवासी लक्ष्मी गार्डन इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद उम्र 19 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग**

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम